प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. राज्य सरकार के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्त्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के तहत् किया जाता है।

3. इस प्रतिवेदन में सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत बिहार सरकार के विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

4. प्रतिवेदन में वैसे मामले भी शामिल हैं जिन्हें वर्ष 2015–16 के दौरान लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया तथा साथ–साथ वैसे मामलों को भी उल्लेखित किया गया है जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाए गए परंतु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। प्रतिवेदन में वर्ष 2015–16 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार शामिल किया गया है।

5. भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संपादित किए गए हैं।